

**राज्य नगरीय विकास अभिकरण**

7/23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,  
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010  
website-www.sudaup.org

पत्रांक:-370 / 01 / 29 / HFA-13 / 2018-19

दिनांक:-०२ मई, 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
लखनऊ।

**विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत तहसीलकर्मियों द्वारा लाभार्थियों की पात्रता की जांच के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम में स्वीकृत लाभार्थियों को भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त करने से पूर्व तहसीलकर्मियों द्वारा लाभार्थियों की पात्रता की जांच कराया जा रही है। अत्यधिक संख्या में लाभार्थियों को तहसील द्वारा अपात्र किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.04.2018 को प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा मटियारी क्षेत्र में रेण्डमली 07 लाभार्थियों की मौके पर जांच की गयी, प्रमुख सचिव महोदय द्वारा उनके आवास एन.बी.सी. मानक के अनुरूप न बने होने व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की गाइडलाइन्स में उल्लिखित पात्रता को पूर्ण किये जाने के कारण 07 में से 04 लाभार्थियों को पात्र पाया गया।

उक्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त घटक में लाभार्थियों की पात्रता की जानकारी के अभाव में तहसीलकर्मी द्वारा पात्र लाभार्थी को अपात्र कर दिया गया है। सूडा द्वारा पूर्व में पत्रांक-2641/01/29/एचएफए-11/2017-18 दिनांक 06.10.2017 द्वारा पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

1. ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी की वार्षिक आय की सीमा रु0 3.00 लाख तक है।
2. (i) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की परिभाषा-पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।  
(ii) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जाएगा। उक्त व्यस्क पुरुष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।  
(iii) विवाहित दम्पति के प्रकरण में, पति-पत्नी दोनों में से किसी एक के नाम या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।

क्रमशः.....2 पर

3. लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
4. नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए।
5. यदि लाभार्थी की भूमि 21-30 वर्ग मी० के मध्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एनबीसी मानक के अनुसार लाभार्थी के पास उपलब्ध भूमि पर 21-30 वर्ग मी० (कारपेट एरिया) के मध्य उसका दोमंजिला (G+1) आवास निर्मित किया जा सकता है।
6. जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास है, जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमी० तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बिनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है:-
  - (अ) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मी० जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी० मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और/या शौचालय बनाया जायेगा।
7. पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेज होने आवश्यक है।
8. यदि किसी लाभार्थी की गाटर सिल्ली की छत है या अर्द्ध पक्का आवास है, जो पक्के आवास की श्रेणी में नहीं आता, वह BLC(N) हेतु पात्र लाभार्थी है।
9. यदि लाभार्थी के पिता/माता/ससुर/सास के नाम भूमि है, तो उनसे अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवास बनाया जा सकता है।
10. यदि लाभार्थी के पिता/माता का पक्का मकान, परन्तु लाभार्थी आगे बनवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि पक्का आवास के बाद भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में पिता/माता से अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर आवास बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी भूमि उपलब्ध न होने पर पक्के आवास के ऊपर बनवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व निर्मित आवास के Structure Stability के दृष्टिगत उपयुक्तता की स्थिति में पिता/माता की अनापत्ति शपथ पत्र के पश्चात् ही बनाया जा सकता है।
11. ऐसी लाभार्थी जो सम्बन्धित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत है, किन्तु उनके पास भू-स्वामित्व सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में लाभार्थी से सम्पत्ति कर या हाऊस टैक्स की रसीद या शपथ पत्र प्राप्त कर उसे BLC घटक में लाभ प्रदान किया जा सकता है।

12. यदि लाभार्थी का पूर्व में एक कमरा पक्का बना हुआ है, जो कि एनबीसी के अनुसार 9 वर्ग मी० से कम है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी का BLC(N) में आवास निर्मित किया जा सकता है।
13. यदि लाभार्थी द्वारा आवास की नींव भर ली गयी है अथवा प्लिन्थ लेवल पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु आगे बनवाने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी को पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने पर एनबीसी मानक के अनुरूप BLC(N) के अन्तर्गत आवास निर्मित किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लाभार्थियों की पात्रता की जाँच टीम में तहसील कर्मियों के साथ-साथ डूडा का प्रतिनिधि, एचएफएपीओ संस्था का प्रतिनिधि तथा डीपीआर/पीएमसी संस्था का प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जाना समीचीन होगा, ताकि पात्रता की शर्तों की जानकारी के अभाव में कोई पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न हो सके। इसके साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि उक्त कार्यवाही जनपद स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी, डूडा, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त एच०एफ०ए०पी०ओ०ए० एवं डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वेब मास्टर/सहा० परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
निदेशक